



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052023-245793
CG-DL-E-10052023-245793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]
No. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2023/वैशाख 20, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2023/VAISAKHA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2023

सं.10/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 355(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020 - केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि.196(अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी, शब्द "दस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. सी.बी.आई.सी.-20021/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020 को सा.का.नि. 196(अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या 17/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 1 अगस्त 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 1 अगस्त 2022, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2023

No. 10/2023 – Central Tax

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 196(E), dated 21st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of August, 2023, for the words “ten crore rupees”, the words “five crore rupees” shall be substituted.

[F. No. CBIC- 20021/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020 and was last amended *vide* notification No. 17/2022-Central Tax, dated the 1st August, 2022, published *vide* number G.S.R. 612(E), dated the 1st August, 2022.